भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 662/2018

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1410/2018 से उत्पन्न)

प्रेम गिरि ... अपीलार्थी (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य ... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील एकल पीठ आपराधिक विविध जमानत संख्या 9471/2017 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.02.2018 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

3. मामले के तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं। हालांकि, मामले में शामिल संक्षिप्त मुद्दे के विवेचन हेतु उन्हें नीचे अधोलिखित किए जाने आवश्यकता है।

4. भारतीय दंड संहिता ,1860(जिसे इसमें इसके पश्चात् "भा.द.स."के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 143, 341, 323, 308, 332 और 353 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए, पुलिस थाना जैतारण, जिला पाली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 332/2017 के क्रम में, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता"के रूप में संदर्भित किया गया है), 1973 की धारा 438 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया, जो एकल पीठ आपराधिक विविध जमानत संख्या 9471/2017 है।

5. एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 22.11.2017 द्वारा आवेदन खारिज कर दिया। खारिज करने के आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9672/2017 दायर किया, जिसे अनुमति दिए जाने पर आपराधिक अपील संख्या 2188/2017 के रूप में दर्ज किया गया था।

6. इस न्यायालय ने दिनांक 14.12.2017 के आदेश (अनुलग्नक-पी-5) द्वारा अपील की अनुमति दी, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22.11.2017 के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता की जमानत अर्जी पर नए सिरे से गुणागुण के आधार पर निर्णय लेने के अनुरोध के साथ मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

7. इस न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया क्योंकि यह देखा गया कि उच्च न्यायालय ने आवेदन खारिज करते समय खारिजी के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया था।

8. प्रतिप्रेषण पर, उच्च न्यायालय ने एकल पीठ आपराधिक विविध जमानत संख्या 9471/2017 मे आक्षेपित आदेश द्वारा तथ्यों को निर्धारित किए बिना और बिना कोई कारण बताए, अपीलकर्ता की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया, जिससे अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की गयी।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार जैन और प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीश कुमार गुप्ता को सुना गया।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख के अवलोकन के बाद, हम अपील को स्वीकार करने के इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए गुणागुण के आधार पर और कानून के अनुसार जमानत आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. आक्षेपित आदेश इस प्रकार हैः

"अभियुक्त याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वत लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आक्षेपित आदेश पर अवलोकन करने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं आरोपी याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूं, इसलिए, अग्रिम जमानत के लिए तत्काल आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।"

12. ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय, इस न्यायालय द्वारा इसी मामले में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

13. हमारे विचार में, आक्षेपित आदेश भी उसी त्रुटि से ग्रस्त है जिस पर इस न्यायालय ने, दिनांक 14.12.2017 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को रद्द कर दिया था। दूसरे शब्दों में, इस

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें कोई तर्क नहीं था। आक्षेपित आदेश भी उसी त्रुटि से ग्रस्त है।

14. इसलिए, हम अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 05.02.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को इस अनुरोध के साथ प्रतिप्रेषि करते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा संहिता की धारा 438 के तहत दायर जमानत आवेदन को गुणागुण के आधार पर कानून के अनुसार नए सिरे से तय किया जाए।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय आवेदन पर आदेश पारित करते समय हमारे पूर्व के आदेश दिनांक 14.12.2017 को ध्यान में रखेगा।

न्यायाधीश (आर. के. अग्रवाल)

न्यायाधीश (अभय मनोहर सप्रे)

नई दिल्ली;

02 मई, 2018

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'**के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।)

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।